UPHR010036342026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

दाण्डिक निगरानी संख्या–93/2026

अशोक कुमार बनाम सरकार

दिनांकः 20.07.2026

निस्तारण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित व राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

निगरानीकर्ता अशोक कुमार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम पर उसके विद्वान अधिवक्ता व जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना गया।

निगरानीकर्ता अशोक कुमार की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी ने अपने वाहन मोटर साइकिल सं0 UP 30 AT 0321 को रिलीज कराने हेतु प्रार्थना पत्र रिलीज का सी०जे०एम० न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसको न्यायालय सी०जे०एम० हरदोई द्वारा डी०एल० न होने का हवाला देकर दिनांक 08.12.2025 को निरस्त कर दिया गया था। चूंकि वाहन चालक ने न्यायालय हाजिर आकर जमानत करायी एवं डी०एल० भी जमा किया था। निम्न न्यायालय द्वारा संलग्न पत्रावली का एवं ड्राइविंग लाइसेन्स का अवलोकन न कर प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया था। इस कारण प्रार्थी द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र देकर तथा सभी कागजात संलग्न कर दिया गया, परन्तु वह भी निम्न न्यायालय द्वारा पूर्व खारजा आदेश का हवाला देकर खारिज कर दिया गया। इसी कारण वश आदेश 08.12.2025 के विरूद्ध रिवीजन दायर करने में देरी हो गयी है। आदेश दिनांक 17.04.2026 से प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है, रिवीजन में जो भी गलती है वह उपरोक्त कारणवश हुई है एवं क्षमा योग्य है। अतः रिवीजन में जो भी देरी हुई, को क्षमा कर रिवीजन की सुनवाई अंदर मियाद करने की याचना की गयी है।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अंर्तगधारा 5 मियाद अधिनियम निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.07.22 16:31:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपने वाहन के रिलीज हेतु प्रार्थनापत्र अवर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जो डी०एल० न होन के कारण अवर न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। उसके उपरांत पुनः उसके द्वारा रिलीज प्रार्थनापत्र सभी कागजात संलग्न कर अवर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसे भी अवर न्यायालय द्वारा पूर्व खारिजा आदेश का हवाला देते हुए निरस्त कर दिया गया। इसी कारण से प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है।

प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। नैसर्गिक न्याय का यह सिद्धांत है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर मिलना चाहिए। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/निगरानीकर्ता अशोक कुमार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है। निगरानी की पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 17.08.2026 को पेश हो।

(रीता कौशिक)

दिनांकः 20.07.2026

सत्र न्यायाधीश,

हरदोई।